



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा
जिला-कोटा



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक : RJ30/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/1195
दिनांक 03-03-2016

आवेदक का आधार नम्बर : 278264460367
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : नही

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मधुबाला पुत्री बाबू लाल गांव/नगर 1155 महावीर नगर द्वितीय कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में कोली (37) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुचिया (संशोधन) आदेश 1956, जम्मू पुनर्गठन अधिनियम 1950, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (पॉर्टोब्ले) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1956, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1958, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (मिजापरम) अनुसूचित जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी मधुबाला गांव/नगर महावीर नगर कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहती हैं।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो संविधान अनुसूचित जाति 1950 का धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग को संसूचना सं एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, कोटा

Signature valid

Digitally signed by
JOSHI RAJESH
Date: 2016.03.03
11:44:32 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan

13156175



1630188210038454

e-Mitra